



सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सूचना का अधिकार भवन,
मसूरी बाईपास रिंगरोड लाडपुर, देहरादून
दूरभाष नं०-0135-2675780 टैलिफैक्स 2675779

पत्रांक : / उ.सू.आ. / 2014-15 दिनांक 25 फरवरी 2015

सेवा में,


प्रभारी अधिकारी प्रकाशन निदेशालय,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय,
पन्तनगर, उधमसिंह नगर ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र पत्रांक प्र0नि0/1145 दिनांक, 24 जनवरी 2015 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें आपने मुम्बई स्थिति कारागृह में विचाराधीन/दोषी कैदियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रकाशन निदेशालय की सभी पुस्तकों की एक-एक प्रति निःशुल्क मांगी गयी है, के सम्बन्ध में उक्त पत्र में जो राय आपने व्यक्त की गई है वह राय विधि सम्मत है।

विश्व विद्यालय के प्रकाशन निदेशालय द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित की गयी हैं, उनमें तकनीकी का विवरण दिया जाता है, पुस्तकों के विषय से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी लेखक द्वारा संकलित कर पुस्तक की पांडुलिपि प्रकाशन निदेशालय को प्रेषित की जाती है, जिसका निदेशालय द्वारा कई स्तर पर संपादन एवं Proof Reading करने के बाद व विषय से सम्बन्धित किसी विशेषज्ञ प्रमाणित कराने के बाद मुद्रण की स्थिति में लाया जाता है, लेखक व विश्वविद्यालय के बीच एक अनुबन्ध भी किया जाता है, जिसमें लेखक को बिक्री हुई पुस्तकों की संख्या के मूल्य के अनुसार रॉयल्टी व भुगतान करना भी सम्मिलित है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व धारा 9 के प्राविधान के अनुसार निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने पर विश्व विद्यालय ने पुस्तक की विषयवस्तु की जानकारी जिस लेखक से ली गई और उसके बदले जो रॉयल्टी लेखक को दी जानी है, व भी नहीं दी जायेगी और लेखक को दी जाने वाले रॉयल्टी की हानि होगी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विश्व विद्यालय के प्रकाशन निदेशालय के द्वारा प्रकाशित पुस्तकें धारा 2(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में जो सूचना की परिभाषा दी गई है, से आच्छादित नहीं होती है।


विधि अधिकारी
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून